THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY). (a) and (b). The Contempt of Courts was introduced in the Rajya Sabha on 29.2.1968 and it is now under consideration of a Joint Committee consisting of Members from both the Houses of Parliament.

---

12 hrs.

DEMISE OF THE PRIME MINISTER OF ISRAEL

SHRI RANGA (Srikakulam) : Sir, I have to draw your attention and the attention of the House to the sad demise of the Prime Minister of Israel. We are all sorry for it.

12.01½ hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

KACHCHATIVU ISSUE

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई-दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलंबनीय लोकमहत्व के निम्नलिखित विषय की ओर वैदेशिक-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस सदन में इसके ऊपर वक्तव्य दें :

"समाचार-पत्रों में प्रकाशित यह समाचार कि भारत श्रीलंका के साथ कच्चातीवू पर विवाद मध्यस्थता के लिए सौंपने के लिए सहमत हो गया है।"

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DINESH SINGH) : The issue of Kachchativu figured in the talks between our Prime Minister and the Prime Minister of Ceylon during his visit to India in November-December, 1968. The two Prime Ministers agreed that in view of the close and cordial ties between the two countries, the issue of Kachchativu should be resolved by bilateral discussions in a spirit of cooperation. Officials of the two countries have held consultations within the broad agreement reached between the two Prime Ministers.

The Government of India are confident that this issue will be resolved by bilateral discussion and the question of arbitration does not arise.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : अध्यक्ष महोदय, मैं यह उम्मीद करता हूं कि समाचार-पत्रों में जो खबर आई है उसको मन्त्री महोदय ने पढ़ा होगा। मैं यह भी समझता हूं कि देश के वैदेशक-कार्य मन्त्री का यह फर्ज होता है कि जब देश की जमीन के सम्बन्ध में या देश के हित के सम्बन्ध में किसी दूसरे मुल्क के लोग या सरकारें कोई एक वक्तव्य दें जिस वक्तव्य को उस मुल्क की सरकार के लोग खंडन करने के लिए तैयार न हों और वह वक्तव्य हमारे मुल्क के हित के विरोध में हो, तो फिर इस सरकार की ओर से उस वक्तव्य का खंडन होना चाहिए। 21 फरवरी की एक खबर जोकि 24 फरवरी के अखबार में छपी थी, भारत की जो न्यूज एजेन्सी है—यू० एन० आई०—उसकी ओर से, कोलम्बो से नकल हुई, उसको मैं आपकी आज्ञा से, यहां पर पढ़ना चाहता हूं :

"Officials of the Ministries of Defence and External Affairs here refused to confirm or deny a report in the Sinhalese daily *Lankadipa* yesterday that Ceylon and India had agreed to refer the Kachchativu issue to international arbitration. The paper claimed that premier Dudley Senanayake made the request for arbitration during his visit to New Delhi last year. It added that the request was prompted by Ceylon's confidence that its claim to the island was supported by a wealth of historical and documentary evidence".

MR. SPEAKER : But he has denied it now.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : अध्यक्ष महोदय, अभी भी उन्होंने इन्कार नहीं किया है। उन के बयान में कोई इन्कार नहीं है। तो मेरा मन्त्री महोदय पर यह आरोप है कि जब यह खबर आई और जैसे उन्होंने इस वक्त यहां पर आपके कथन के अनुसार इन्कार की बात की है, वह तत्काल उनको करनी चाहिए थी ताकि किसी के मन में हिन्दुस्तान की भूमि को लेकर गलतफहमी न रहती। आप

[श्री जार्ज फरनेन्डीज]

तो जानते हैं कि यह मामला वैसे तो एक वर्ष से इस सदन में चलता आ रहा है, लेकिन पिछले साल फरवरी, मार्च के महीने में हमने इसको उठाया था और तब हमें यह बताया गया था कि तत्काल इसको हम लोग हल करने जा रहे हैं । फिर बाद में यह बताया गया कि दोनों देशों के प्रधान मन्त्री जब दिल्ली में बैठेंगें, तब फैसला होगा । नवम्बर-दिसम्बर में श्रीलंका के प्रधान मन्त्री हिन्दुस्तान में आये और उनसे बात-चीत हुई । श्रीलंका के प्रधान मन्त्री ने दिल्ली में यह वक्तव्य दिया कि दो महीने के भीतर हम इस प्रश्न को हल करने जा रहे हैं । यह नवम्बर के अन्तिम सप्ताह की बात है लेकिन जनवरी के पहले सप्ताह में, जबकि वे कामनवेल्थ प्राइम मनिस्टर्स कांफ्रेन्स के लिए लंदन जा रहे थे तो करांची में उन्होंने वक्तव्य दिया, जिसके ऊपर पिछली बार यहां पर खुलासा भी हुआ था, कि यह मसला हल हो चुका है । और अब हम लोगों के सामने, हिन्दुस्तान और श्रीलंका के प्रधान मंत्रियों की बातचीत के तीन महीने बाद, यह वक्तव्य आता है जिसको श्रीलंका के न तो विदेश मन्त्री ही और न संरक्षा मन्त्री ही इन्कार करने के लिए तैयार हैं । तो मैं दो तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं । एक तो इसमें जो कहा गया है :

"Premier Dudley Senanayake made the request for arbitration"

क्या इसमें तथ्य है कि उन्होंने यह मांग की थी ? दूसरे यह कि क्या हमारी सरकार के मन में ऐसा कोई विचार है कि पाक स्ट्रीट और गल्फ आफ मन्नार, इन दोनों का इस ढंग से बटवारा किया जाये, यानी समुन्दर के पानी में इस ढंग की रेखा बट जाये जिससे कच्चातीवू हिन्दुस्तान से अलग होकर सीलोन के हिस्से में चला जाये ? तीसरे यह कि जो प्रश्न पिछले बुधवार को मैंने पूछा था और मन्त्री महोदय ने साफ जवाब देने से इन्कार कर दिया था, कि क्या भारत सरकार के मन में कच्चातीवू भारत की धरती थी, भारत की धरती है और भारत की धरती रहेगी, क्या आपके मन में इसके बारे में कोई शक है और अगर कोई शक नही है तो फिर क्यों नहीं आप तत्काल सीलोन को बोल देते हैं कि कच्चातीवू का मामला खत्म, कच्चातीवू हमारा है ?

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, कच्चातीवू का मामला इस सदन में पहले भी आया है और कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी राय दी है । जहां तक मैं समझता हूं इस सदन की आम राय तह थी कि दोनों देश, जिनके कि बहुत घने सम्बन्ध रहे हैं ..(व्यवधान)...

श्री जार्ज फरनेन्डीज : चीन के साथ भी थे ।

श्री दिनेश सिंह : आप सुनेगें भी या खुद ही जवाब देंगे ।

मैं आप से निवेदन कर रहा था कि यहां पर सदन में यह मामला आया था और सदन की आम राय यह थी कि दोनों देशों के बीच में जैसे घने सम्बन्ध हैं, उनके अनुसार दोनों देशों के बीच में बात चीत करके यह मामला तय करना चाहिए । माननीय सदस्य शायद उससे सहमत न रहे हों क्योंकि वे तो किसी चीज से सहमत नहीं रहते और उसके लिए मैं कुछ कहता भी नहीं लेकिन यहां पर यह बात हुई थी और आज हम सीलोन सरकार से इसी सम्बन्ध से बातें कर रहें हैं । श्रीलंका के प्रधान मन्त्री यहां आये थे, उन्होंने इसके बारे में यहां पर बातें कीं । सदन को मालूम है कि जो बातें दोनों के बीच में हुई, एक ज्वाइन्ट कम्यूनिके निकला था और उसमें भी इसके बारे में जिक्र था । मैं आपकी आज्ञा से उसका एक छोटा सा हिस्सा पढ़ देना चाहता हूं ।

> "The Prime Ministers exchanged views on matters of common interest in the Palk Bay Gulf of Munnar including territorialwaters, delineation of the median line, fishing rights and sovereignty over Kachcha Thivu."

सब मामलों के बीच में यह बात भी हुई थी और आज भी दोनों देशों के बीच में बातें हो रही हैं । श्रीलंका के प्रधान मन्त्री जब लन्दन जा रहे थे तो करांची में उस दिन इस मामले पर सफाई हुई जब उनसे किसी ने करांची में पूछा कि क्या ग्राप इस मामले को कामन-वेल्थ प्राइममिनिस्टर्स कांफ्रेन्स में उठायेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम दोनों देश आपस में बातें कर रहे हैं ग्रौर हम समभते हैं कि हमारे ग्रापस का यह मामला तय हो गया । अब उन बातों को यहां पर उठाने से मैं नहीं समभता कि कहां तक उससे बातचीत में मदद मिलती है । माननीय सदस्य आरोप लगाते हैं, मैं भी उनके ऊपर हजारों ग्रारोप लगा सकता हूं । इस मामले को वे अपनी संस्था की बात बनाना चाहते हैं, देश के रूप में देखना नहीं चाहते हैं... (व्यवधान)....

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : यह देश की धरती का सवाल है, आप रोव मत कसिये । ...व्यवधान...

श्री रवि राय (पुरी) : अध्यक्ष महोदय, आपने इसकी इजाजत दी है, फिर ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं ? कटाक्ष क्यों कर रहे हैं ?...(व्यवधान)...

श्री दिनेश सिंह : आज तक हम इसी के प्रयत्न में हैं कि आपस में ये बातें तय हो जायें । और उनके बीच में मेरा कुछ कहना कि क्या बातें हुई, किस तरह से हुई, उन बातों को बिगाड़ने का डर है, बनती नहीं हैं । इसलिए मैं कहूंगा कि यह बातें जो सरकार के बीच में हो रही हैं उन को चलने दें । फैसला होने के पहले वह मसला सदन के सामने आयेगा और हर सदस्य को पूरा अवसर होगा विचार करने का ।

श्री जार्ज फ़रनेन्डीज : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न स्पष्ट थे । अखबारों में यह जो खबर है कि सीलोन के प्रधान मंत्री ने आप से यह विनती की थी कि इस को आर्बिट्रेशन में भेजो, क्या यह विनती उन्होंने की थी ।

दूसरे यह कि क्या गल्फ़ आफ़ मन्नार पाक स्टेट के बीच में रेखा लगा कर आप कच्चातीवू उन को देना चाहते हैं । ऐसा कोई विचार ग्राप के मन में है ?

तीसरे यह कि यह धरती हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी इस बारे में आप के मन में कोई सफ़ाई है या नहीं है ?

श्री दिनेश सिंह : जहां तक पहले सवाल का जवाब है बहुत सी बातें यहां प्रधान मंत्री से हुई । उसके बारे में मैं ने कहा कि मेरा कहना मुनासिब नहीं होगा । लेकिन कोई स्पष्ट सुभाव कि इस चीज़ को आर्बिट्रेशन में भेजें, ऐसी बात नहीं है, न कोइ बात उठी । बात दोनों देशों के बीच होने की है ।

जहां तक यह सवाल है कि कच्चातीवू हमारा है, तो हमारे मन में कोई शंका की बात नहीं है । अगर शंका होती कि हमारा है या नहीं तो बातचीत का सवाल नहीं उठता । लेकिन भविष्य में क्या होगा यह तो सदन तय करेगा । माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं ज्योतिषी की तरह बता दूं कि भविष्य में क्या होगा, यह मैं कैसे बता सकता हूं ।

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittor) : Government has not agreed to arbitration of the Kachchativu dispute with Ceylon. If the Government had taken some interest previously, this dispute would not at all have arisen. The Madras Government have got some records about this island and the Raja of Ramnad had a right on that island and he was collecting taxes and he has some records. Will the Government of India take the assistance of the Madras Government and get all the records and put up a strong case with the Ceylon Government so that we may not lag behind in putting our case ? In view of our good relations with Ceylon, it is better that we settle this dispute peacefully without any trouble.

SHRI DINESH SINGH : We are aware of some of the facts which the Hon. Member is mentioning. But this is not something which had been started

[Shri Chengalraya Naidu]

just now. This had been going on from 1830 ; it is about a hundred years old.

श्री हरदयाल देवगुण (पूर्व दिल्ली) : माननीय सदस्य श्री फ़रनेन्डीज़ ने जिस समाचार की ओर आप का और माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है और जिस पर यह ध्यान आकर्षण का नोटिस दिया गया उस के अतिरिक्त पहले भी एक समाचार करांची से प्रकाशित हुआ, और वह सीलोन के प्रधान मंत्री श्री डडले सेनानायक का एक वक्तव्या था । उस में उन्हों ने कहा था :

> "The Ceylonese Prime Minister Dudley Senanayake said here yesterday that the Kachchativu Island had been settled between Ceylon and India mutually. He told newsmen at Karachi Airport where he stayed for an hour on way from Colombo to London that the issue would not be taken up at the Commonwealth Prime Ministers' Conference."

तो इस में भी इस का उल्लेख है । उनके अनुसार इस विवाद का हल हो चुका है । अब यह कहते हैं कि हमारी बातचीत अभी चल रही है। और दूसरा समाचार यह है कि दोनों सरकारों ने इस को अन्तर्राष्ट्रीय पंच के हवाले करने का फैसला किया है । एक साल पहले यह समाचार आया था कि सीलोन सरकार ने कच्चातीवू द्वीप पर अपनी पुलिस, अपने कस्टम अधिकारी और नेवी के अधिकारी भेज दिये हैं, और मार्च में जो मेला लगा उस की भी व्यवस्था सीलोन के अधिकारियों ने की थी । मैं जानना चाहता हूं कि आज सीलोन में इस द्वीप पर किस के अधिकारी हैं । वहां पर पुलिस, नेवी और दूसरे लोग किस सरकार के हैं ? सीलोन के हैं या भारत सरकार के हैं ? और जो मार्च में मेला लगने वाला है उस मेले में जाने की व्यवस्था कौन कर रहा है ? भारत सरकार कर रही है या श्री लंका सरकार कर रही है ?

श्री दिनेश सिंह : जहां तक पहले हिस्से का सवाल है अध्यक्ष महोदय, इस मामले की सफ़ाई मैं तीन दिन पहले सदन में कर चुका हूं जो कि वक्तव्य करांची में हुआ । इस लिये फिर उसे नहीं दोहरा रहा हूं ।

जो दूसरा सवाल माननीय सदस्य ने किया है तो आज वहां पर कोई है नहीं, उस द्वीप पर कोई रहता नहीं है । इसलिये हमारी फौज है या लंका की है इस का कोई सवाल नहीं उठता । कोई लोग वहां पर नहीं रहते । कस्टम अधिकारी भी नहीं हैं, कोई आदमी नहीं है । पानी नहीं है । लोग वहां पर आते जाते हैं और वहां पर कोई रहता नहीं हैं ।

जहां तक सवाल है कि उस की पेट्रोलिंग कैसे होती है ? तो मैंने पिछली दफ़ा कहा था कि जैसे पहले होता आया है उसी तरह से चल रहा है ।

जहां तक सवाल है कि जो मेला लगने वाला है, मैंने पिछली दफ़ा कहा था कि दोनों सरकारों के बीच में बातचीत हो रही है और हम तय करेंगे कि किस तरह से उस का इंतजाम हो ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने श्री जार्ज फ़रनेन्डीज़ के प्रश्न के उत्तर में कहा कि जहां तक इस द्वीप पर हमारी सार्वभौमिकता का सवाल है, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है । तो मैं उन से जानना चाहता हूं कि जब यह स्थित है तो क्या वजह है कि पिछले वर्ष जब सैंट ऐन्थोनी त्योहार वहां पर मनाया गया था तो सीलोन के अधिकारी और सीलोन का हैलीकौप्टर उस द्वीप पर पहुंचा गये थे ?

दूसरे यह कि कच्छ के बारे में पिछले वर्ष जब यहां पर बहस हुई तो उप-प्रधान मन्त्री ने, और मेरा ख्याल है कि वह सरकार की ओर से बोल रहे थे, यह कहा था कि भारत की भूमि का मामला अन्तर्राष्ट्रीय पंचों के सामने सुपुर्द कर हम ठोकर खा चुके हैं इस

लिए भविष्य में हम जमीन का सवाल पंचों के सामने नहीं भेजेंगे। तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बात की वह सफाई देंगे कि, भविष्य में क्या होगा वह ज्योतिषी नहीं हैं मैं जानता हूं लेकिन, जब तक उनकी सरकार है 1972 तक, उसके बाद तो रहने वाली नहीं है, लेकिन जब तक उनकी सरकार है तो क्या यह आश्वासन सदन को देंगे, 1972 तक कम से कम, यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय पंचो के सामने नहीं भेजेंगे ? लम्तान की बातें तो छोड़ दीजिये, 1972 तक की बात ही कहे !

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य ने 1972 तक आश्वासन मांगा है। अध्यक्ष महोदय, मैं उन से उस के बाद तक भी, बहुत सालों के लिये कहना चाहता हूं कि हमारा कोई इरादा नहीं है कि इस में हम किसी पंच को शामिल करें।

जहां तक यह बात है कि क्या मैंने कहा और क्या मुझ को माननीय सदस्य ने मेरी बातों को समझा, वह मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। जो मैंने कहा वह आप के रिपोर्टर ने लिख लिया है। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि कल सुबह उस को पढ़ने की कोशिश करें। मैंने जो कहा है उस को अपने शब्दों में फिर से कहने की कोशिश न करें। मेरे शब्द स्पष्ट हैं। उन की सहायता की मुझ को जरूरत नहीं है।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, यह चालाकी न करें। कम से कम मुझ से न करें। जब इस की मिल्कियत और सार्वभौमिकता के बारे में शक नहीं है तो क्या वजह है कि सीलोन के अधिकारियों को और हैलीकोप्टर को उन्हों ने वहां पर उतरने दिया ? यह मेरा सवाल है। मंत्री महोदय इस तरह से चालाकी मत करें और वह ईमानदारी से उत्तर दें।

श्री दिनेश सिंह : मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य ने खुद चालाकी छोड़ कर साफ़ बात कहने की कोशिश की। अब पहले

वहां पर हैलीकोप्टर आया या क्या आया इस के बारे में सदन में काफ़ी बहस हो चुकी है और इसलिए कोई नई बात माननीय सदस्य नहीं उठा रहे हैं।

जहां तक कच्चातीवू को अपना मानने का सवाल है यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हम उस को अपना मानते हैं लेकिन उसी तरीके से श्रीलंका भी उस को अपना मानता है। यह कोई आज से नहीं बल्कि बहुत साल से हमारी इस बारे में बातचीत चल रही है। कच्चातीवू के बारे में उन के साथ हमारी बातचीत चल रही है बाकी जैसा मैं ने कहा हम उसको अपना मानते हैं और श्रीलंका भी उस को अपना मानता है। इसलिए उस के बारे में कुछ बातचीत हो रही है कि आगे का जो इन्तजाम हो वह दोनों से मिल कर हो जिसमें दोनों को कोई शिकायत न रहे कि हमने क्या किया और उन्होंने क्या किया। मिलजुल कर का होना चाहिए और इसीलिए जब तक एक पूरे तरीके से फैसला नहीं हो जाता तब तक मैं क्या कह सकता हूं।

MR. SPEAKER : Meanwhile he may say what happened with the helicopter and all that.

SHRI DINESH SINGH : What happened last year has already been given in all detail. If you so desire, Sir, I shall keep a copy of the same on the Table.

SHRI J. H. PETAL (Shimoga) : [Spoke a few words in Kannada.]

My question was, with our knowledge of this Government of national shame which has with a view to keep good neighbourly relationship with China surrendered 18,000 square miles to China, to keep good neighbourly relationship with Pakistan surrendered 350 square miles to Pakistan under the Kutch Award, to keep good neighbonrly relationship with Ceylon Kachchativu is being negotiated, is Kachchativu negotiable ? After the President's Declaration extending territorial waters to twelve miles instead of six miles by which Kachchativu comes within the territorial jurisdiction of our Union, is a part of our territory negotiable ? Is Delhi negotiable ?

[Shri J. H. Patel]

If he is clear that Kachchativu is not negotiable, what is the meaning of the part of the joint communique he was just now reading that we are having bilateral talks ? Is Kachchativu at all a subject matter for discussion with Ceylon ? Why should this Government not say in clear terms that Kachchativu is not negotiable and our army will be placed there if their helicopters and officials try to land there ? Why should he not say so with some guts ?

MR. SPEAKER : He has answered it already.

SHRI HEM BARUA (Mangoloai) : Sir, will you allow an Hon. Member who knows English to put his question in his mother tongue and then translate it into English ? Then, may I speak in Assamese and get it translated into English ?

MR. SPEAKER : I agree with him completely that if every Hon. Member puts the question first in his mother tongue and then translates it into English or Hindi, it will take double time and it will be a waste of the valuable time of the House. I hope Hon. Members will realise that it is a waste of time of the House and will not first speak in the mother tongue and then translate it. I would leave it to the better judgment of the Hon. Members :

श्री मधु लिमये : आपने कबूल किया है कि अनुवाद का इंतजाम करेंगे ।

SHRI HEM BARUA : Then I would like to speak in Assamese and then translate it into English.

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE (Ratnagiri) : Any Hon. Member who wants to speak in his mother tongue should give up a part of his daily allowance because he is taking away the time of the House for which he is not entitled.

MR. SPEAKER : It is a novel suggestion which she can make later on.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): It is a suggestion for action.

MR. SPEAKER : The question of the Hon. Member was whether Kachchativu was negotiable and, if not, why are you going to talk about this issue at all. The Hon. Minister says that he has already replied it twice. The point is that while we are thinking that it is not negotiable, Ceylon is thinking in a different way. So, to solve this problem they have to talk ; this is what the Minister says. The Hon. Member feels strongly that it is not negotiable. I am not interested in this question. I am only communicating the reply which the Minister gave. I am not giving my views. I have no views on this matter.

SHRI J. H. PATEL : Then my question was whether it comes within the territorial waters of India or not.

MR. SPEAKER : He has answered that question also. I am only trying to tell him that while we feel strongly on this question, they are also feeling equally strongly. Therefore, we will have to talk so that there will be no dispute.

12.28 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Salar Jung Museum (Amendment) Rules, 1969

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V.K. R.V. RAO) : I beg to lay on the Table a copy of the Salar Jung Museum (Amendment) Rules, 1969, published in Notification No. G. S. R. 176 (English Version) and G. S. R. 177 (Hindi version) in Gazette of India dated the 1st February. 1969, under sub-section (3) of section 27 of the Salar Jung Museum Act, 1961. [*Placed in Library. See* No. LT 150/69.]

Report Of Study Team on Land Refort Measures

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI D BERING): On behalf of Shri Annasahib Shinde, I beg to lay on the Table a copy of the Report (Hindi and English versions) of the Study Team on involvement of Community Development Agency and Panchayati Raj Institutions in the implementation of basic land reform measures.